समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री वीरेन्द्र मोहन वर्मा पे0 स्व0 राजेन्द्र नाथ वर्मा, पुरानी गंज, मुंगेर-सह- अपर समाहर्त्ता (सेवानिवृत), नालंदा कोलोनी, पो0- लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना-20 ने अपने पत्रांक 02 दिनांक 29-11-2013 के द्वारा सूचित किया है कि उन्हें दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/93(उदाकिशुनगंज थाना) प्राप्त है, परन्तु अर्थाभाव के कारण दो नाली बन्दुक नहीं खरीद सके हैं। उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव श्री वर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा-17 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री वीरेन्द्र मोहन वर्मा पे0 स्व0 राजेन्द्र नाथ वर्मा, सा0 नालंदा कोलोनी पो0 लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना-20 को प्रदत्त दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/93(उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री वर्मा द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी में उक्त आशय की प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षरित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 88 /शस्त्र, दिनांक 12-03-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री वीरेन्द्र मोहन वर्मा पे0 स्व0 राजेन्द्र नाथ वर्मा, सा0 नालंदा कोलोनी पो0 लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना-20 को सूचनार्थ प्रेषित।

12/03/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।